फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार **बनाम** **रामचन्द्र वगै0**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 65/**2016**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2022	आज यह पत्रावली प्रार्थी सीताराम की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रामेश्वरदयाल के पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 रूल 10 सीपीसी मय मौजुदा जमाबंदी पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 199 रकबा 0.62 है0 के हिस्सा 1/4 वाके मौजा अडुका का कयशुदा रिकॉर्डेड खातेदार व कब्जा काश्तकार है जबकि वाद में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रार्थी को वाद पक्षकार प्रतिवादी नं0 5 बनाया जाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान करें। वादपत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी सीताराम वादवर्णित भूमि के 1/4 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार है जिन्हें वादपक्षकार बनाया जाकर जवाबदेही का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 रूल 10 सीपीसी स्वीकार की जाती है। प्रार्थी को प्रतिवादी की हैसियत से जवाब दावा पेश करने का अवसर दिया गया। वकील प्रार्थी ने जवाबदावा मय शपथ पत्र पेश किया। तत्पश्चात वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने जवाबदावा के कथनों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी वादवर्णित भूमि के कुछ हिस्से को अकृषि उपयोग में तथा बाकी भूमि को कृषि कार्य में ले रहा है। उक्त भूमि आबादी के बीच है। प्रतिवादी की राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कतई कोई मंशा नहीं है। राज पैरोकार तहसीलदार को मौजुदा वाद पत्र पेश करने हेतु किसी प्रकार का कारण वाद पैदा नहीं हुआ। प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि को विधिवत संपरिवर्तन करवाना चाहता है जिस हेतु प्रतिवादी को संपरिवर्तन के लिए अवसर दिया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है तथा प्रतिवादी अपनी कयशुदा भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है व विधिवत संपरिवर्तन करवाना चाहता है जिस हेतु शपथपत्र भी पेश किया है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	